

Form No. III  
**फॉर्म अहकाम**  
 (नियम 26)

आज अवास्तत..... 29.05.25 ..... मुकाम..... कोटा .....  
 2025/114 ..... वनाम..... कपिल वर्मा .....  
 किसम मुकदमा..... 1734, 1735 व 1736 ..... नं. .... 173 ..... तम. 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुए
12/05/25	राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाव जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना-पत्र पर बहस कर प्रार्थना-पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना-पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 17/3/25 को पेश हो।	
17/3/25	<p>पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम ताथेड़ के खाता संख्या 188 में कपिल वर्मा नाम की 4 बार एन्ट्री हो रही है। उक्त नाम एक ही व्यक्ति के है। जिसे दुरुस्त करवाने हेतु अप्रार्थी द्वारा आवेदन किया है। ग्राम ताथेड़ के खाता संख्या 188 में स्वतः स्वीकृत नामान्तरण संख्या 1734, 1735 व 1736 बेचान द्वारा कपिल वर्मा नाम की 4 बार एन्ट्री ऑनलाईन हुई है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त नाम एक ही व्यक्ति के है। जिसे दुरुस्त किया जाना है। उक्त प्रविष्टियों को दुरुस्त करने के आदेश करने की क्षेत्राधिकारिता श्रीमान न्यायालय को है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर उक्त शुद्धि की जावें।</p> <p>पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में कथन किया है कि ग्राम ताथेड़ के खाता संख्या 188 में स्वतः स्वीकृत नामान्तरण संख्या 1734, 1735 व 1736 बेचान द्वारा कपिल वर्मा नाम की 4 बार एन्ट्री ऑनलाईन हुई है। उक्त त्रुटी ऑनलाईन म्युटेशन के कारण हुई है। जिसकी शुद्धि किया गया उचित है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर ग्राम ताथेड़ के खाता संख्या 188 में कपिल वर्मा पुत्र कमल मोहन वर्मा हि0 5/28, कपिल वर्मा पुत्र कमल मोहन वर्मा हि0 6/49, कपिल वर्मा पुत्र कमल मोहन वर्मा हि0 5/28 एवं कपिल वर्मा पुत्र कमल मोहन वर्मा हि0 5/28 के स्थान पर कपिल वर्मा पुत्र कमल मोहन वर्मा हि0 129/196 दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें।</p> <p>उक्त निर्णय आज दिनांक 17/3/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
 कोटा

